

25/1/23

बकुलाय पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन
अधिकारी
होने से प्रकरण दिनांक 25/1/23
को पेश हों।

आज्ञा से

र/स

रीरर

24.1.23

पत्रावली पेश हुई। बकुलाय पक्षकार उपस्थित हुए।
उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर
ताबाद उभयपक्ष को निर्माण हेतु पाबन्द किए जाने
का निर्वेदन किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी

द्वारा कसद हस्तगत प्रार्थना पत्र मौजे की यथास्थिति से
सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया एवं उभयपक्ष अस्तिवेका

द्वारा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को
मौजे की यथा स्थिति हेतु पाबन्द किए जाने पर सहमति
व्यक्त की गई।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 212 R.A. का स्वीकार

किया जाकर उभयपक्ष प्रार्थना एवं विनियोग 1 ले 3/2

उपखाण्ड अधि

गिर्वा, उदय

को इस आशय की अस्थाई निवेद्याता से जानन्द
बिदा जाता है कि हस्तगत प्रकरण के मूल बाद
प्रकरण संख्या 118/18 अनवान अमृतलाल बनाम
इन्द्रा के निस्तारण तब राजस्व ग्राम लकड़वास
डेप. म. लकड़वास के आराजी संख्या 2094 से
2096, 2098, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107 कुल
कितो 9 रकबा 1.1700 हेक्टर भूमि में मोडे
की यथा स्थिति बनाए रखे एवं किली प्रकार
अवृष्टि निर्माण कार्य नहीं करे। निर्णय लेर उजलाद

सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर

से कम हो।

[Handwritten signature]

पतिभा वर्मा
उपखण्ड अधिकारी

LAS
गिरवा, उदयपुर